



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62018

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10234 वर्ष 2026**

विकास

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: शाहबुद्दीन, ज़िया उद्दीन

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शहाबुद्दीन और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 191/2025, धारा 103(1) बीएनएस, पुलिस स्टेशन-पवाई, जिला-आजमगढ़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, चारों नामजद व्यक्तियों ने मृतक की हत्या की है। बाद में, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को केवल एक चाकू का घाव और तीन खरोंचें आई थीं। इसके बाद, पहले मुखबिर ने दूसरा बयान दिया जिसमें उसने मृतक की हत्या में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में आवेदक के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए। पुलिस ने आवेदक के बताए अनुसार एक कुल्हाड़ी भी बरामद की। हालांकि, मृतक को लगी कोई भी चोट कुल्हाड़ी से नहीं हो सकती थी। उपरोक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और न ही आवेदक के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री है। इसके बावजूद, आवेदक को झूठा फंसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 05.07.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, जेलों की भीड़भाड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** मामले में दिए गए फैसले (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय का हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **विकास** को निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक समान राशि का, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले सत्यापित किए जाएंगे।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन भी दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल के द्वारा भेजी जाए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, नीति जमानत देने की रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(आपराधिक) संख्या 4/2021 के मामले में, दिनांक 31.01.2023 को निर्णय लिया गया, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ है।

25 मार्च, 2026

एस. सी

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।